

उत्तराखण्ड शासन  
पंचायतीराज अनुभाग

संख्या / XII / 2011 / 90(35)/2005  
देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2011  
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संकाम्य संग्रह) नियमावली, 2007 के अन्तर्गत समय में यथा संशोधन नियमावली में निहित प्राविधानानुसार तथा विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित कार्य अधिकारियों एवं अभियन्ताओं को तात्कालिक प्रभाव से जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी वेतनमान रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन-6600 के रिक्त पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत कर नियुक्ति प्रदान करते हुए स्तम्भ-5 में उल्लिखित जनपदों में तैनाती की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्य अधिकारी/अभियन्ता	श्रेणी	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति के पश्चात तैनाती
1	2	3	4	5
	श्री तेज सिंह,	अनुसूचित जाति	रुद्रप्रयाग	टिहरी गढ़वाल
	श्री लक्ष्मण प्रकाश डंगवाल	सामान्य	प्रति0राज्य निर्वाचन आयोग	प्रति0राज्य निर्वाचन आयोग
	श्री शूरवीर सिंह मटूरा	सामान्य	प्रतीक्षारत	रुद्रप्रयाग
	श्री भरत सिंह नेगी	सामान्य	देहरादून	देहरादून
	श्री खुशपाल सिंह पयाल	सामान्य	हरिद्वार	चमोली
	श्री राजेश कुमार	अनुसूचित जाति	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
	श्री हिमाली जोशी 'पेटवाल'	सामान्य	नैनीताल	नैनीताल
	श्री जयेन्द्र सिंह पंवार	सामान्य	नौशनल पदोन्नति	सेवानिवृत्त
	श्री शेर सिंह परगाई	सामान्य	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
	श्री जगदीश प्रसाद आर्य	अनुसूचित जाति	नैनीताल	चम्पावत
	श्री बी0डी0पाण्डे	सामान्य	ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर
	श्री मनवर सिंह राणा	सामान्य	चमोली	पौड़ी
	श्री राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी	सामान्य	हरिद्वार	हरिद्वार
	श्री सोहन लाल गैरोला	सामान्य	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी

उपरोक्त क्रमांक 8 पर अंकित कार्य अधिकारी श्री जयेन्द्र सिंह पंवार दिनांक 31-10-2011 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अतः श्री जयेन्द्र सिंह पंवार को सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31-10-2011 को नौशनल पदोन्नति की जाती है।

उक्त समस्त अपर मुख्य अधिकारियों को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में रखा जाता है तथा पारस्परिक संश्लेषण पथक से निर्धारित की जायेगी।

उक्त समस्त अपर मुख्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी नवीन तैनाती जनपद पर तात्काल योगदान देते अपनी योगदान आख्या शासन/निदेशक पंचायतीराज को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

( एन0एस0नेगी )  
सचिव।

संख्या 2011(1)/XII/2011/90(35)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- आभूक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।

3- निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून।

4- समस्त अध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

जिला पंचायत

दिनांक 16/12/2011

दिनांक

27/12/2011